



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112021-231056
CG-DL-E-13112021-231056

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4288]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2021/कार्तिक 20, 1943

No. 4288]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021/KARTIKA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2021

का.आ. 4653(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग-43 के कि.मी. 264.000 रेलवे कि.मी. 937/14-15, (एल./सी. नम्बर एबी-27) अनुपपुर-विश्रामपुर सेक्शन में बौरीडांड-उदलकछार रेलवे स्टेशन के बीच) बेलबहरा आर.ओ.बी. के निर्माण कार्य, अनुरक्षण, प्रबंध और परिचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित जिलों, तालुकों, पुलिस थानों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूखण्ड के सम्बन्ध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-43 के एल./सी. नम्बर एबी-27 बेलबहरा आर.ओ.बी. के निर्माण कार्य हेतु
कि.मी 264.000 से कि.मी 265.000 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH43 के कि.मी. 264 से 265 तक	छत्तीसगढ़	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	1 बेलबहरा

[फा. सं. RW-NH-12014/Chhattisgarh(1)LA/2021(Zone-4)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2021

S.O. 4653(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for construction of R.O.B. at Km. 264.000 Railway Km. 937/14-15 between Boridand-Udalkachhar Railway station on Anuppur-Bishrampur rail section at L/C No. AB-27 Belbahra, District-Korea in the State of CHHATTISGARH.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of NH-43 on the stretch from Km. 264.000 to Km. 265.000 for construction of R.O.B. at L/C No. AB-27, Belbahra in the State of CHHATTISGRH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub-Divisional officer (Revenue) & Land Acquisition Officer, section Manendragarh District-Korea	264KM To 265KM	CHHATTISGARH	KOREA	Manendragarh	1 Belbahara

[F. No. RW-NH-12014/Chhattisgarh(1)LA/2021(Zone-4)]

RAJESH GUPTA, Director